अति. जिला कलक्टर, सीकर

जगमालसिंह व जगुसिंह बनाम तहसीलदार

अपील न.क्र. 71/2018

4/7/18	अपीलांट की ओर से वकील श्री राजकुमार राड़ उपस्थित। अपील विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 31/05/2018 पत्रावली संख्या 445/2018 अनुवानी सरकार बनाम सवाईसिंह के पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पो. को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/07/18 को पेश हो।	
19 07/2018	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। इस आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20/07/2018 को पेश हो।	
20 07/2018	आज दिनांक पत्रावली बास्ते बहस पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट जगमालसिंह एवं एक अन्य व्यक्ति नारायणसिंह पुत्र शक्तिसिंह उपस्थित हुये। बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया की सड़क निर्माण के दौरान पटवारी के द्वारा किये गये सीमाज्ञान से दोनों पक्ष असन्तुष्ट है दोनों पक्षों ने निष्पक्ष सीमाज्ञान की मांग की और अपीलांट के द्वारा यह प्रार्थना की गई की तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ की स्वयं की मौजुदगी में निष्पक्ष सीमाज्ञान कीया जाकर ही सड़क निर्माण हेतु रास्ते की सीमा मे आ रहे अतिक्रमण को हटाया जाये। अतः अतः यह अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारीत की जाती है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ हितबद्ध पक्ष की मौजुदगी में स्वयं उपस्थित रह कर दिनांक 23/07/2018 को सीमाज्ञान कर आवश्यक कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। फैसले की कॉपी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को प्रेषित हो। 20/7/18	जगमालसिंह नारायणसिंह

प्रमाणित फोटो / प्रतिलिपि
रीडर
अति. जिला कलक्टर, सीकर

अभिभाषक संघ, लक्ष्मणगढ़

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

FORM NO- 10

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

जगमाल सिंह उर्फ जग्गूसिंह बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र स्थगन मु0न0 46 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
04.07.2018	प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजकुमार राड़ उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के प्रकरण संख्या 445/2018 अनुवानी सरकार बनाम सवाईसिंह आदेश दिनांक 31.05.2018 को अपास्त किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 324 ता 328, 383, 572 ग्राम भूमा छोटा के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पेश किया है। प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 445/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2018 के सम्बंध में आगामी तारीख पेशी 19.07.2018 तक यथास्थिति बनाये रखे। आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.07.2018 को पेश हो। 4/7/18 अति. जिला कलक्टर, सीकर	
19 07/2018	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त / पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20/7/2018 को पेश हो।	
20 07/2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र के संबंधित मूल अपील का निस्तारण हो चुका है अब प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल होकर मूल अपील के साथ संलग्न रहे। 20/7/18	जगमालसिंह नारायणसिंह

अति. जिला कलक्टर, सीकर

प्रमाणित फोटो / प्रतिलिपि

सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर (राज०)

क्रमांक:- रीडर/2018/472

दिनांक:- 20/07/2018

तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को छाया प्रति निर्णय वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

20/7/18

अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official